तामील हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल जज

11/1/21

अधि० आयुक्त उप० है। रिपोर्ट प्राप्त हो शा० रहे। अधि० आयुक्त को सुना गया।

प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण का मुख्य रूप से कथन है कि उनके खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर $\frac{1854}{0.54}$, $\frac{1855}{0.73}$, $\frac{1856}{2.43}$ वाके ग्राम अलियारी में आने जाने हेतु ख०नं० 1868 के पूर्वी मेड़ के सहारे से, ख०नं० 1866 ~~के दक्षिणी~~ में से होकर, ख०नं० 1864 के पूर्वी मेड़ के सहारे सहारे बीस फीट चौड़ा रास्ता चाहते थे, जहां से वे 100 साल से आ जा रहे थे।

अप्रार्थी नं० 1 लगा० 5, 7 लगा० 9 बावजूद सूचना के उप० नहीं आये जिस पर उनके खिलाफ कार्यवाही एकपक्षीय अमल में लाई गयी। शेष अप्रार्थीगण ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की आराजियात के उपयोग उपभोग हेतु ~~कोई~~ भी रास्ता मौके पर उपलब्ध होने के बावजूद भी यह ~~प्रार्थना~~ पत्र पेश किया है जबकि प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी की भूमि में आने जाने हेतु ख०नं० 1862, 1857, 1842 में से पूर्व में ही ~~से~~ प्रचलित रास्ता विद्यमान है वहीं से प्रार्थीगण आते जाते हैं इसलिए प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण खारिज फरमाया जावे।

प्रकरण में प्रार्थना पत्र एवं जवाब के तथ्यों के मध्यनजर रास्ते बाबत औचित्य रिपोर्ट मौके की मंगवाई गयी। रिपोर्ट प्राप्त हो शा० रहे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख०नं० 1854, 1855, 1856 वाके ग्राम अलियारी में पहुंचने हेतु अलियारी से हमीरपुर डामरीकृत सड़क से ख०नं० 1868 की पूर्वी मेड़, 1866 की दक्षिणी पूर्वी मेड़ तथा ख०नं० 1864 की पूर्वी मेड़ के सहारे सहारे तहसीलदार द्वारा रास्ता प्रस्तावित किया है। जो उचित प्रतीत होता है। ~~इस~~ प्राप्त रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर 1868, 1866, 1864 में होकर रास्ता कायम किया जाना उचित है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर खसरा नम्बर 1868 में से प्रस्तावित नक्शे में दर्शाये अनुसार 10 फिट चौड़ा रास्ता नक्शे में

Ruby

हुक्म या कार्यवाही मय इनिसियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

बिन्दु A से B तक 0.05 हे0, ख.नं. 1866 में से बिन्दु B से C तक 0.02 हे0, ख.नं. 1864 में से बिन्दु C से D तक 0.02 हे0 कुल 0.09 हे0 रकबा सरकारी सिवायचक गै.मु. रास्ता दर्ज रिकार्ड किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त गै.मु. रास्ते की तरमीम नक्शा शीट में प्रस्तावित नक्शा जो बाद अनुमोदन भेजा जाकर तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त गै.मु. रास्ता हेतु घोषित रकबा संबंधित खातेदारों की खातेदारी से कम किया जावे। तहसीलदार से प्राप्त DLC दर एवं रिपोर्ट अनुसार आराजी की DLC दर Rs. 6,28,788/- अक्षरे छः लाख अठाईस हजार सात सौ अठ्ठासी रुपये है जिसकी दुगनी राशि नियमानुसार Rs. 12,57,576/- अक्षरे बारह लाख सत्तावन हजार पांच सौ छिहत्तर रुपये प्रति हैक्टर की दर से 0.09 हे0 की कीमत नियमानुसार Rs. 1,13,182/- अक्षरे एक लाख तेरह हजार एक सौ बियासी रुपये कायम की जाती है। जिसका भुगतान प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण को किया जावेगा। प्रार्थीगण को निर्देश हैं कि वे संबंधित नम्बर के खातेदार (अप्रार्थीगण) के नाम उनके हिस्से की राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट बनाकर न्यायालय हाजा में पेश करें। तहसीलदार को निर्देश हैं कि संबंधितों को डिमाण्ड ड्राफ्ट की राशि का नियमानुसार भुगतान कर उपरोक्तानुसार घोषित रकबों को रिकार्ड राजस्व में सरकारी सिवायचक गै.मु. रास्ता दर्ज करें तथा नक्शे अनुसार शीट में उक्त रास्ते के रकबों की तरमीम कर पालना से अवगत करावें। तहसीलदार को पालनार्थ तहरीर जारी हो। तहरीर के साथ अनुमोदित नक्शे की एक प्रति एवं कायम राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। हुक्म आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Ruby

उपखण्ड अधिकारी